

# देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान

## प्रेस—विज्ञप्ति

अत्यंत हर्ष के साथ यह सूचित किया जाता है कि Institute of Engineering & Technology, Devi Ahilya Vishwavidyalaya के शिक्षकों डॉ विवेक कपूर, डॉ वृदा टोकेकर एवं M.E. के छात्र श्री उपेन्द्र जारिया को उनके द्वारा इजाद की गई तकनीक “**Multiparty Binary Access Control**” को पेटेंट कार्यालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा दि. 27/11/2019 को पेटेंट प्रदान किया गया। उन्हें यह पेटेंट आवेदन की तिथि 31 मई 2019 से 20 वर्ष की अवधि हेतु प्रदान किया गया है।

सूचना प्रौद्योगिकी के इस युग में कहा जाता है कि सही सूचना सही समय पर मिलना ही सबसे बड़ा धन है और यही डाटा अथवा सूचना अनाधिकृत व्यक्ति को प्राप्त होना सबसे बड़ा नुकसान है। सूचना को गोपनीय रखने के लिये कम्प्यूटर संस्थानों में एक्सेस कंट्रोल सॉफ्टवेयर बनाया जाता है। जो कि यूज़र लॉग—इन करने के बाद यूज़र को दिखने वाले ऑप्शन, डाटा और उसके द्वारा किये जाने वाले Operations को करने की अनुमति (Permission) प्रदान करता है। अतः कम्प्यूटर संस्थानों में सर्वर का काफी सारा समय परमिशन चेक करने में ही व्यतीत हो जाता है। लॉग—इन करने वाले यूज़र को जितनी परमिशन होती है, उतने ही ऑप्शन स्क्रीन पर भी नजर आते हैं।

वर्तमान डाटाबेस आधारित एक्सेस कंट्रोल तकनीक लगभग एक सेकण्ड के 1000 वें भाग में एक परमिशन चेक करती है। पेटेंट की गई Multiparty Binary Access Control तकनीक Binary Arithmetic पर काम करती है जो कि एक बहुत ही तेज (fast), सुरक्षित और सटीक तकनीक है। बाइनरी तकनीक में पेटेंटधारियों द्वारा दावा किया गया है कि एक परमिशन चेक करने में लगभग 500 नेनोसेकण्ड (एक सेकण्ड का 1000,000,000 वां भाग) का समय लगेगा जो कि वर्तमान डाटाबेस एक्सेस कंट्रोल तकनीक से हजारों गुना तेज होगा।

संस्थानों में बढ़ते फ्रॉड को देखते हुए आजकल यूज़र के रोल (Designation) के अलावा अन्य कई attributes पर भी एक्सेस कंट्रोल किया जाता है जैसे कि – Location, Time, Network Type, Device Type इत्यादि। वर्तमान डाटाबेस तकनीक में इन सभी attributes को जोड़ देने पर परमिशन चेक करने का समय लगभग दोगुना हो सकता है। जबकि बाइनरी एक्सेस कंट्रोल लगभग उतने ही समय (500 नेनो सेकण्ड) में इस तरह के 10 attributes चेक करके परमिशन Grant या Deny कर सकता है।

डॉ. चन्दन गुप्ता  
मीडिया प्रभारी